

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

BULLETIN-PART II

(General Information relating to Legislative &
other matters)

(Friday, January, 21, 1994/ Magha 1, 1915 (37)

NO. 32 . The Specified Areas (Issue of
Identity Cards to Residents) Bill,
1993.

The Rajya Sabha Secretariat vide their letter No.RS.6(1)/93-CHA dated the 14th January, 1994 have intimated that the Specified Areas (Issue of Identity Cards to Residents) Bill, 1993 has been referred to the Department-related Parliamentary Standing Committee on Home Affairs. The Committee has decided to invite memoranda from the various organisations, institutions and individuals engaged or interested in the subject matter of the Bill by the 28th January, 1994 and has desired that the copies of the Bill may be kept in the Libraries of the respective State Legislative Assemblies for perusal and reference by citizens and institutions of the States."

2. They have also requested that copies of the Bill sent by them may be kept in the Library of Delhi Vidhan Sabha.

3. Accordingly, two copies each of Hindi and English versions of the Bill have been placed in the Library of the Delhi Vidhan Sabha for the use and information of the Hon'ble Members.

F .N.GUPTA
Secretary

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

॥ विधायी तथा अन्य मामलों से संबद्ध सामान्य जानकारी ॥

शुक्रवार, जनवरी, 21, 1994/माघ 1, 1915 ॥ शक ॥

संख्या :- 32

विनिर्दिष्ट क्षेत्र ॥ निवासियों को पहचान-पत्र जारी किया जाना ॥
विधेयक, 1993

राज्य सभा सचिवालय ने अपने पत्र दिनांक 14 जनवरी, 1994 द्वारा यह सूचित किया है कि विनिर्दिष्ट क्षेत्र ॥ निवासियों को पहचान-पत्र जारी किया जाना ॥ विधेयक, 1993 विभाग-संबंधित गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति को सौंप दिया गया है। समिति ने विधेयक की विषयवस्तु से जुड़े अथवा उसमें रूचि रखने वाले विभिन्न संगठनों, संस्थानों और व्यक्तियों से 28 जनवरी, 1994 तक ज्ञापन आमंत्रित करने का निर्णय किया है और यह इच्छा व्यक्त की है कि राज्यों के नागरिकों और संस्थानों के जनसंकेत और संदर्भ के लिए विधेयक की प्रतियां संबंधित राज्य विधान सभाओं के पुस्तकालयों में रखी जायें।

2. उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि उनके द्वारा भेजी गयी विधेयक की प्रतियां दिल्ली विधान सभा पुस्तकालय में रखी जाए।

3. सदस्यों की सूचना एवं प्रयोग के लिए उपर्युक्त विधेयक की हिन्दी एवं अंग्रेजी की दो-दो प्रतियां दिल्ली विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

पी. एन. गुप्ता
सचिव